कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज

अमरेन्द्र कु0 पाण्डेय (बि.शि.से.प्र.)
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
गोपालगंज

पिन कोड– 841428
मो0- +91 8544411336
E-mail :deogopalganj.edn@gmail.com

पत्रांक–3697 /

प्रेषक,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
गोपालगंज।

सेवा में,

सेवा में,
सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी,
जिला–गोपालगंज।

गोपालगंज दिनांक 28.10.26 /

विषयः– विद्यालय की आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु संकल्प एवं कायाकल्प अभियान के क्रियान्वयन के संबंध में।

प्रसंगः– सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2012, दिनांक–05.10.2026 से संदर्भित।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक में अंकित करना है कि विभागीय पत्रांक–2012, दिनांक–05.10.2026 के द्वारा विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु **सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान के क्रियान्वयन** के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किए गए है। इस संबंध में पूर्व से निर्गत विभागीय पत्रांक–1950, दिनांक–29.09.2026 एवं विभागीय पत्रांक–121, दिनांक–16.09.2024 के द्वारा विद्यालयों में कराए जाने वाले मुख्य कार्यों का विवरण एवं दिशा–निर्देश निर्गत किए गए है। साथ ही विभागीय पत्रांक–121 दिनांक–16.09.2024 के कंडिका–1 में बल्ब, पंखा, ट्यूब लाईट आदि की मरम्मति के अलावे नव–स्थापन भी किया जा सकेगा।

तत्काल सभी विद्यालयों में 50,000/– (पचास हजार रूपये) तक की राशि उपलब्ध कराई जानी है। इसके अंतर्गत केवल तत्काल कराए जाने आवश्यक छोटे एवं लघु मरम्मती कार्यों को ही पूर्ण कराया जाए, जिनका अनुमानित बजट 50,000/– से कम हो। उक्त कार्य संपन्न कराए जाने के उपरांत, विद्यालय प्रधान एवं वरीय शिक्षक द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर कर संलग्न प्रतिवेदन प्रपत्र एवं अन्य आवश्यक अनुलग्नकों के साथ प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराऐंगे। साथ ही निदेशित किया जाता है कि जिन विद्यालयों का कार्यादेश संबंधित विभागीय पोर्टल पर अपलोड रहेगा उन्ही विद्यालय से संबंधित भुगतान की कार्रवाई की जा सकेगी।

ज्ञातव्य हो कि नव उत्क्रमित माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यालय कोष में राशि उपलब्ध होने कि स्थिति मे सर्वप्रथम उपलब्ध राशि से विद्यालयो का अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य किया जाएगा। जिन विद्यालयो के विद्यालय कोष में राशि पर्याप्त नही होने कि स्थिति में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाए।

सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि उपर्युक्त वर्णित सभी विभागीय दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यह संपूर्ण कार्य अनिवार्य रूप से दिनांक 30.11.2026 से पूर्व पूर्ण करा लिया जाए। प्रतिवेदन के साथ कार्य प्रारंभ होने से पूर्व की रंगीन फोटो (Geo Tagged), कार्य पूर्ण होने के उपरांत की रंगीन फोटो (Geo Tagged), एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज/अनुलग्नक अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
28.10.2026
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
गोपालगंज।
28/10/26

28/10/26

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, गोपालगंज
28/10/26

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज

अमरेन्द्र कु0 पाण्डेय (बि.शि.से.प्र.)
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
गोपालगंज

पिन कोड– 841428
मो0- +91 8544411336
E-mail :deogopalganj.edn@gmail.com

ज्ञापांक 3697 /गोपालगंज, दिनांक 28.10.26 /

प्रतिलिपिः– जिला के सभी प्रारंभिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यालय प्रधान को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त, गोपालगंज की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को सादर सुचनार्थ समर्पित।

28.10.2026
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
गोपालगंज।
28/10/26

28/10/26

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, गोपालगंज
28/10/26

सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान के तहत् जीर्णोद्धार/मरम्मति कार्य प्रतिवेदन

(विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–130, दिनांक–05.10.2020 के आलोक में)

संचिका संख्या (कार्यालय उपयोग हेतु) :–

1. विद्यालय का नाम .....

2. यू–डायस कोड ..... प्रखंड .....

3. कार्य आदेश पत्रांक/दिनांक .....

4 कार्य का विवरण :–

5. कायाकल्प पोर्टल में उपरोक्त कार्य की प्रविष्टि की गई है (हाँ/नहीं)– .....

6. किया गया कार्य संतोषजनक है (हाँ/नहीं) – .....

7 प्रतिवेदन के साथ कार्य के पूर्व एवं कार्य पूर्णता के उपरांत का फोटो संलग्न है (हाँ नहीं) – .....

8. प्रतिवेदन के साथ भुगतान अभिश्रव मूल प्रति में संलग्न है– .....

9. क्या उपरोक्त कार्य की प्रविष्टि भंडार पंजी में कर लिया गया है– .....

10. विद्यालय का खाता सं०– .....

IFSC Code- ..... बैंक का नाम – .....

11. अभ्युक्ति

अनु०– (i) मूल अभिश्रव की प्रति।

(ii) कार्य के पूर्व का फोटो (रंगीन)

(iii) कार्य के पूर्णता के उपरांत फोटो (रंगीन)

(iv) कार्य आदेश की प्रति।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य विभागीय पत्रांक 1950/29.09.2026 एवं पत्रांक–121/16.09.2024 में दिए गये दिशा–निर्देश के आलोक में कराया गया है। संवेदक द्वारा किया गया कार्य संतोषजनक है। विद्यालय कोष में राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण यह प्रतिवेदन भुगतान हेतु समर्पित किया जा रहा है।

पत्रांक ...../ दिनांक ...../

हस्ताक्षर एवं मुहर

प्र०अ० का नाम .....

मो०नं०– .....

पत्रांक– ...../ दिनांक– ...../

प्रेषक,

प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक,

.....

प्रखंड– .....

सेवा में,

.....

.....

.....

विषयः– विद्यालय में लघु जीर्णोद्धार कार्य का कायदिश निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान के तहत अधिकतम 50,000 / – की अधिसीमा तक तत्काल कराए जाने वाले छोटे एवं आवश्यक निम्न कार्य हेतु यह कार्य आदेश आपको निर्गत किया जा रहा हैः–

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	अभियुक्ति
	कुल अनुमानित लागत		

उक्त के आलोक में कहना है कि उक्त कार्य पत्र निर्गत तिथि से एक सप्ताह के अन्दर गुणवत्तापूर्ण कराते हुए मूल अभिश्रय (अधिकतम राशि–50,000 / – तक) एवं अन्य विवरण विद्यालय को उपलब्ध करावें, ताकि भुगतान हेतु प्रतिवेदन जिला कार्यालय को उपलब्ध कराया जा सके।

हस्ताक्षर एवं मुहर

प्र०अ० का नाम .....

मो०नं०– .....

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

पत्रांक– बजट/आव-11001/1/2023-SEC_5-EDU DEPT (C.No-277107)..130.....

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) बिहार,
वीरचन्द पटेल, पथ, पटना।

पटना, दिनांक– 05/10/2026

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा – आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जीर्णोद्धार/अनुरक्षण एवं मरम्मति हेतु कुल 2,75,00,00,000/– (दो अरब पचहत्तर करोड़) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं तत्काल 1,78,75,00,000/– (एक अरब अठहत्तर करोड़ पचहत्तर लाख) की विमुक्ति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' के क्रियान्वयन हेतु राज्य के प्रारंभिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण अध्ययन को प्रभावी तरीके से लागू करने हेतु कई प्रकार की योजनाओं को यर्थाथता प्रदान की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के प्रारंभिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन–अध्यापन हेतु सरकारी विद्यालय में तीव्र गति से जीर्णोद्धार/अनुरक्षण एवं मरम्मति का कार्य सुनिश्चित किया जाना है।

2. उपरोक्त स्थिति में विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जीर्णोद्धार/अनुरक्षण एवं मरम्मति हेतु कुल 2,75,00,00,000/– (दो अरब पचहत्तर करोड़) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं तत्काल 1,78,75,00,000/– (एक अरब अठहत्तर करोड़ पचहत्तर लाख) की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' के क्रियान्वयन हेतु **विभागीय पत्रांक 1950 दिनांक 29.09.2026** द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2

4. उक्त राशि के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2026–27 में निम्न बजटीय शीर्ष के आधार पर किया जायेगा–

राशि(करोड़ में)

क्र० सं०	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	योजना के प्रकार	उपबंधित राशि/स्वीकृत राशि	65% विमुक्त राशि	तृतीय बंधेज सीमा (35%) के तहत विमुक्त की जाने वाली राशि	कार्य की विवरणी
1	21-2202-01-053-0001	0001.27.02–अनुरक्षण एवं मरम्मत	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	225.00	146.25	78.75	प्रारंभिक विद्यालयों के भवनों का जीर्णोद्धार/अनुरक्षण एवं मरम्मत
2	21-2202-02-053-0001	0001.27.02–अनुरक्षण एवं मरम्मत	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	50.00	32.50	17.50	माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का जीर्णोद्धार/अनुरक्षण एवं मरम्मत
			कुल	275.00	178.75	96.25	

5. उक्त स्वीकृत राशि संलग्न विवरणी के अनुसार राशि की निकासी विहित प्रक्रिया द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा किया जायेगा। वित्त विभागीय बंधेजों के तहत कुल स्वीकृत राशि का 65 प्रतिशत विमुक्त की जा रही है। तृतीय बंधेज सीमा के तहत शेष राशि 35 प्रतिशत का आवंटन 30 नवम्बर के उपरान्त किया जायेगा।

6. राशि का विचलन अन्य मद में नहीं किया जायेगा। मितव्ययिता एवं कार्य की गुणवत्ता का ध्यान आवश्यक रूप से रखा जाय।

7. उक्त राशि के व्यय में विभागीय पत्रांक–121 दिनांक–16.09.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा। उक्त पत्र की कंडिका–1 में बल्ब, पंखा, ट्यूब लाईट आदि की मरम्मति के अलावे नव–स्थापन भी किया जा सकेगा।

8. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा विभागीय पत्रांक–110 दिनांक–27.09.2024 के आलोक में आवश्यकतानुसार अधिकतम 50,000/– (पचास हजार) रूपये प्रति विद्यालय की दर से किया जायेगा।

9. जिलों द्वारा विद्यालयों को राशि आवंटन में नव उत्क्रमित माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को प्राथमिकता दी जायेगी। साथ हीं, सर्व प्रथम विद्यालयों के विद्यालय कोष में उपलब्ध राशि से विद्यालयों का अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य किया जायेगा। जिन विद्यालयों के विद्यालय कोष में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं है, उन्हीं विद्यालयों को राशि आवंटित की जायेगी। इस हेतु विभागीय पत्रांक–122 दिनांक–18.09.2024 में निहित प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. उक्त स्वीकृत एवं विमुक्त राशि को निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं अन्य उच्चाधिकारियों के द्वारा उपलब्ध कराये गये पीत पत्र/जिलों द्वारा उपलब्ध कराये गये मांग पत्र एवं उच्चस्तरीय निदेश के आधार पर संबंधित जिलों को राशि आवंटित किया जायेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिला को आवंटित राशि व्यय नही किये जाने की स्थिति में आवश्यकता आधारित राशि Withdrawal कर अन्य जिलों को CFMS 2.0 से राशि आवंटित कर दी जायेगी।

11. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा राशि की निकासी नियमानुसार Fully Vouched Bill के आधार पर की जायेगी।

12. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय पत्र संख्या–2561 दिनांक 17.04.1998 तथा समय–समय पर निर्गत वित्त विभागीय अनुदेशों/पत्रों के आलोक में की जायेगी।

14. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

15. योजना का अनुश्रवण विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक/ प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत सरंचना निगम लिमिटेड, पटना/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा एवं संबंधित उप निदेशक, शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा।

16. उपरोक्त स्वीकृत्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–बजट/आव-11001/1/2023-SEC_5-EDU DEPT (C.No-277107) की पृष्ठ संख्या–114/टि० पर प्राप्त है।

17. उपरोक्त प्रस्ताव एवं प्रारूप सहित निकासी की स्वीकृति पर माननीय मंत्री का संचिका संख्या–बजट/आव-11001/1/2023-SEC_5-EDU DEPT (C.No-277107) की पृष्ठ संख्या–112/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

5.10.24

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–बजट/आव-11001/1/2023-SEC_5-EDU DEPT (C.No-277107).130 पटना, दिनांक–05/10/202

प्रतिलिपि :–संबंधित कोषागार पदाधिकारी/विकास आयुक्त, योजना एवं विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद/विशेष सचिव/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/उप निदेशक (प्रशासन)–सह–बजट पदाधिकारी/निदेशक, प्रशासन/बजट शाखा/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/ सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०)/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5.10.24

सरकार के उप सचिव

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में जीर्णोद्धार/अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु जिलावार आवंटित राशि की विवरणी (21–2202–01–053–0001), 27.02

क्र० सं०	जिला का नाम	विद्यालयों की संख्या	65% विमुक्त की जा रही राशि	तृतीय बंधेज सीमा (35%) के तहत विमुक्त की जाने वाली राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6
1	Araria	1825	₹ 3,99,50,000	₹ 2,15,10,000	₹ 6,14,60,000
2	Arwal	526	₹ 1,15,20,000	₹ 62,00,000	₹ 1,77,20,000
3	Aurangabad	2066	₹ 4,52,30,000	₹ 2,43,50,000	₹ 6,95,80,000
4	Banka	2005	₹ 4,38,90,000	₹ 2,36,40,000	₹ 6,75,30,000
5	Begusarai	1428	₹ 3,12,60,000	₹ 1,68,30,000	₹ 4,80,90,000
6	Bhagalpur	1736	₹ 3,80,10,000	₹ 2,04,60,000	₹ 5,84,70,000
7	Bhojpur	1925	₹ 4,21,40,000	₹ 2,26,90,000	₹ 6,48,30,000
8	Buxar	1093	₹ 2,39,30,000	₹ 1,28,80,000	₹ 3,68,10,000
9	Darbhanga	2241	₹ 4,90,60,000	₹ 2,64,20,000	₹ 7,54,80,000
10	Gaya	3070	₹ 6,72,10,000	₹ 3,61,90,000	₹ 10,34,00,000
11	Gopalganj	1674	₹ 3,66,50,000	₹ 1,97,30,000	₹ 5,63,80,000
12	Jamui	1659	₹ 3,63,20,000	₹ 1,95,60,000	₹ 5,58,80,000
13	Jehanabad	888	₹ 1,94,40,000	₹ 1,04,70,000	₹ 2,99,10,000
14	Kaimur	1182	₹ 2,58,80,000	₹ 1,39,30,000	₹ 3,98,10,000
15	Katihar	1706	₹ 3,73,50,000	₹ 2,01,10,000	₹ 5,74,60,000
16	Khagaria	1009	₹ 2,20,90,000	₹ 1,18,90,000	₹ 3,39,80,000
17	Kishanganj	1360	₹ 2,97,70,000	₹ 1,60,30,000	₹ 4,58,00,000
18	Lakhisarai	738	₹ 1,61,60,000	₹ 87,00,000	₹ 2,48,60,000
19	Madhepura	1398	₹ 3,06,10,000	₹ 1,64,80,000	₹ 4,70,90,000
20	Madhubani	2845	₹ 6,22,80,000	₹ 3,35,40,000	₹ 9,58,20,000
21	Munger	963	₹ 2,10,80,000	₹ 1,13,50,000	₹ 3,24,30,000
22	Muzaffarpur	2955	₹ 6,46,90,000	₹ 3,48,30,000	₹ 9,95,20,000
23	Nalanda	2164	₹ 4,73,80,000	₹ 2,55,10,000	₹ 7,28,90,000
24	Nawada	1626	₹ 3,56,00,000	₹ 1,91,70,000	₹ 5,47,70,000
25	Pashchim Champaran	2362	₹ 5,17,10,000	₹ 2,78,40,000	₹ 7,95,50,000
26	Patna	2997	₹ 6,56,10,000	₹ 3,53,30,000	₹ 10,09,40,000
27	Purbi Champaran	2968	₹ 6,49,80,000	₹ 3,49,90,000	₹ 9,99,70,000
28	Purnia	2018	₹ 4,41,80,000	₹ 2,37,90,000	₹ 6,79,70,000
29	Rohtas	2012	₹ 4,40,50,000	₹ 2,37,20,000	₹ 6,77,70,000
30	Saharsa	1184	₹ 2,59,20,000	₹ 1,39,60,000	₹ 3,98,80,000
31	Samastipur	2449	₹ 5,36,10,000	₹ 2,88,70,000	₹ 8,24,80,000
32	Saran	2384	₹ 5,21,90,000	₹ 2,81,00,000	₹ 8,02,90,000
33	Sheikhpura	474	₹ 1,03,80,000	₹ 55,90,000	₹ 1,59,70,000
34	Sheohar	375	₹ 82,10,000	₹ 44,20,000	₹ 1,26,30,000
35	Sitamarhi	1933	₹ 4,23,20,000	₹ 2,27,90,000	₹ 6,51,10,000
36	Siwan	2038	₹ 4,46,00,000	₹ 2,40,40,000	₹ 6,86,40,000
37	Supaul	1580	₹ 3,45,90,000	₹ 1,86,30,000	₹ 5,32,20,000
38	Vaishali	1948	₹ 4,26,50,000	₹ 2,29,60,000	₹ 6,56,10,000
	कुल योगः–	**66804**	**₹ 1,46,25,00,000**	**₹ 78,75,00,000**	**₹ 2,25,00,00,000**

सरकार के उप सचिव

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जीर्णोद्धार/अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु जिलावार आवंटित राशि की विवरणी (21–2202–02–053–0001), 27.02

क्र० सं०	जिला का नाम	विद्यालयों की संख्या	65% विमुक्त की जा रही राशि	तृतीय बंधेज सीमा (35%) के तहत विमुक्त की जाने वाली राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6
1	Araria	232	₹ 80,20,000	₹ 43,20,000	₹ 1,23,40,000
2	Arwal	73	₹ 25,20,000	₹ 13,60,000	₹ 38,80,000
3	Aurangabad	238	₹ 82,30,000	₹ 44,30,000	₹ 1,26,60,000
4	Banka	203	₹ 70,20,000	₹ 37,80,000	₹ 1,08,00,000
5	Begusarai	263	₹ 90,90,000	₹ 48,90,000	₹ 1,39,80,000
6	Bhagalpur	285	₹ 98,50,000	₹ 53,00,000	₹ 1,51,50,000
7	Bhojpur	263	₹ 90,90,000	₹ 48,90,000	₹ 1,39,80,000
8	Buxar	159	₹ 55,00,000	₹ 29,60,000	₹ 84,60,000
9	Darbhanga	345	₹ 1,19,20,000	₹ 64,20,000	₹ 1,83,40,000
10	Gaya	379	₹ 1,31,00,000	₹ 70,50,000	₹ 2,01,50,000
11	Gopalganj	241	₹ 83,30,000	₹ 44,90,000	₹ 1,28,20,000
12	Jamui	176	₹ 60,80,000	₹ 32,80,000	₹ 93,60,000
13	Jehanabad	100	₹ 34,60,000	₹ 18,60,000	₹ 53,20,000
14	Kaimur	166	₹ 57,40,000	₹ 30,90,000	₹ 88,30,000
15	Katihar	259	₹ 89,50,000	₹ 48,20,000	₹ 1,37,70,000
16	Khagaria	138	₹ 47,70,000	₹ 25,70,000	₹ 73,40,000
17	Kishanganj	142	₹ 49,10,000	₹ 26,40,000	₹ 75,50,000
18	Lakhisarai	100	₹ 34,60,000	₹ 18,60,000	₹ 53,20,000
19	Madhepura	181	₹ 62,60,000	₹ 33,70,000	₹ 96,30,000
20	Madhubani	419	₹ 1,44,80,000	₹ 78,00,000	₹ 2,22,80,000
21	Munger	139	₹ 48,00,000	₹ 25,90,000	₹ 73,90,000
22	Muzaffarpur	415	₹ 1,43,40,000	₹ 77,20,000	₹ 2,20,60,000
23	Nalanda	283	₹ 97,80,000	₹ 52,70,000	₹ 1,50,50,000
24	Nawada	207	₹ 71,50,000	₹ 38,50,000	₹ 1,10,00,000
25	Pashchim Champaran	437	₹ 1,51,00,000	₹ 81,30,000	₹ 2,32,30,000
26	Patna	422	₹ 1,45,90,000	₹ 78,50,000	₹ 2,24,40,000
27	Purbi Champaran	438	₹ 1,51,40,000	₹ 81,50,000	₹ 2,32,90,000
28	Purnia	265	₹ 91,60,000	₹ 49,30,000	₹ 1,40,90,000
29	Rohtas	284	₹ 98,20,000	₹ 52,90,000	₹ 1,51,10,000
30	Saharsa	165	₹ 57,00,000	₹ 30,70,000	₹ 87,70,000
31	Samastipur	402	₹ 1,38,90,000	₹ 74,80,000	₹ 2,13,70,000
32	Saran	356	₹ 1,23,00,000	₹ 66,30,000	₹ 1,89,30,000
33	Sheikhpura	65	₹ 22,50,000	₹ 12,10,000	₹ 34,60,000
34	Sheohar	56	₹ 19,40,000	₹ 10,40,000	₹ 29,80,000
35	Sitamarhi	286	₹ 98,90,000	₹ 53,20,000	₹ 1,52,10,000
36	Siwan	319	₹ 1,10,10,000	₹ 59,50,000	₹ 1,69,60,000
37	Supaul	194	₹ 67,10,000	₹ 36,10,000	₹ 1,03,20,000
38	Vaishali	308	₹ 1,06,50,000	₹ 57,30,000	₹ 1,63,80,000
	कुल योगः–	**9403**	**₹ 32,50,00,000**	**₹ 17,50,00,000**	**₹ 50,00,00,000**

5-10-26

सरकार के उप सचिव

पत्रांक– 04/अ०का० 16–74/2026.....1950....

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

विजय कुमार पाण्डेय,
निदेशक (प्रशासन)।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 29-09-26

विषयः– **विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' के क्रियान्वयन के संबंध में।**

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में सार्वजनिक परिसंपतियों के सुदृढ़ीकरण, अनुरक्षण एवं जनसुविधाओं के उन्नयन हेतु संचालित विशेष अभियान **'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान'** के संबंध में मुख्य सचिव महोदय के पत्रांक 530 दिनांक 11.09.2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निदेश संसूचित किया गया है। **उक्त अभियान दिनांक 17 सितम्बर, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक संचालित होगा।** इस अभियान के अन्तर्गत पूर्व से अवस्थित परिसंपत्तियों का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मति कराया जाना है, जिसके लिए अंतिम तिथि दिनांक 30 नवम्बर, 2026 तक निर्धारित है। साथ ही नई आधारभूत संरचनाओं एवं परिसंपत्तियों का निर्माण 31 मार्च, 2027 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' अन्तर्गत शिक्षा विभाग के **पूर्व से अवस्थित परिसंपत्तियों का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण** एवं **मरम्मति** के तहत विद्यालयों भवनों एवं वर्ग–कक्षों की मरम्मति एवं रंग–रोगन, किचन शेड की मरम्मति एवं रख–रखाव, शौचालयों की मिशन मोड में साफ–सफाई, पेयजल, बिजली एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं को क्रियाशील किया जाना है। **नई आधारभूत संरचनाओं एवं परिसंपत्तियो का निर्माण के तहत** अतिरिक्त वर्ग–कक्षों का निर्माण, भवनविहीन विद्यालयों में भवन का निर्माण, आवश्यकतानुसार नए शौचालयों का निर्माण तथा आवश्यकतानुसार चहारदीवारी का निर्माण कराया जाना है।

विद्यालय परिसंपत्तियों के मरम्मति संबंधित कार्य Composit School Grant एवं आवश्यकतानुसार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विकास कोष की राशि का उपयोग कर क्रियान्वित किया जाना है तथा नई आधारभूत संरचनाओं/परिसंपत्तियों का निर्माण संबंधित योजना के प्रावधान, ग्रामीण

विकास विभाग (विकसित भारत–जी राम जी योजना) के अभिसरण एवं पंचायती राज विभाग से क्रियान्वित किया जाना है।

उक्त क्रम में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना के पत्रांक 4087 दिनांक 02.09.2026 एवं पत्रांक 4115 दिनांक 03.09.2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा० शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) को सरकारी विद्यालयों के अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं का आकलन कर विहित प्रपत्र में (सॉफ्ट कॉपी सहित) सूचना उपलब्ध कराने हेतु निदेशित भी किया जा चुका है।

राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के पत्रांक 4327 दिनांक 11.09.2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विद्यालयों की आधारभूत संरचना में आवश्यक सुधार एवं विकास हेतु विद्यालय स्तर पर किए जाने वाले कार्यो को निम्नलिखित **तीन श्रणियों में विभाजित किया गया है:–**

1. **विद्यालय स्तर पर तत्काल किए जाने वाले सुधारात्मक कार्य–** इस श्रेणी में ऐसे छोटे एवं आवश्यक कार्य शामिल होंगे, जिन्हें विद्यालय स्तर पर तत्काल कराया जा सकता है, जैसे– आवश्यक लघु मरम्मति कार्य, रंग–रोगन, दरवाजे/खिड़कियाँ, पेयजल, रनिंग वाटर के साथ शौचालय आदि के रख–रखाव एवं अन्य सुधारात्मक कार्य इत्यादि। इन कार्यो पर होने वाला व्यय विद्यालय को उपलब्ध Composit School Grant मद से किया जाएगा। **इन कार्यो को 30 नवम्बर, 2026 तक पूरा कर लिया जाय।**
2. **वृहद् असैनिक निर्माण कार्य–** इस श्रेणी में विद्यालयों में आवश्यक वृहद् असैनिक निर्माण/मरम्मति कार्य शामिल होंगे। ऐसे कार्यो के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन की व्यवस्था संबंधित ग्रामीण विकास विभाग **(विकसित भारत–जी राम जी योजना)** एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं तथा उपलब्ध अन्य उपयुक्त योजनागत स्रोतों से किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। **इन कार्यो को 31 मार्च, 2027 तक पूरा कर लिया जाय।**
3. **जर्जर भवनों का निस्तारण/हटाया जाना–** इस श्रेणी में वैसे विद्यालय भवन/भवन के भाग शामिल होंगे जिन्हें सक्षम प्राधिकार द्वारा जर्जर घोषित किया जा चुका है तथा जिनका उपयोग विद्यालय/छात्रों की सुरक्षा एवं शैक्षणिक गतिविधियों की दृष्टि से उचित नहीं है। ऐसे जर्जर भवनों को नियमानुसार हटाने/ध्वस्त करने की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर किया जाना आवश्यक है। इसके लिए विभाग द्वारा MSTC के साथ MoU की कार्रवाई की जा रही है।

उक्त तीनों श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले कार्यो को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश उक्त पत्रांक 4327 दिनांक 11.09.2026 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी को दिया गया है। साथ ही इस कार्य की नियमित समीक्षा जिला स्तर पर करने तथा शिक्षा विभाग के संबंधित पदाधिकारियों

के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए आधारभूत संरचना में अपेक्षित सुधार सुनिश्चित करने हेतु भी सभी जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है।

दिनांक 23.09.2026 को सचिव, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में v.c. के माध्यम से सम्पन्न विभागीय समीक्षात्मक बैठक में आप सभी को निदेशित किया गया है कि 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' अन्तर्गत कार्यो की सूची तैयार की जाय। सभी जिलों में पहले कार्यो को चिन्हित किया जाय यथा–ब्लैक बोर्ड की स्थिति, बेंच–डेस्क की स्थिति, रंग–रोगन की स्थिति, पंखा, बल्ब, वायरिंग, रनिंग वाटर के साथ–साथ शौचालय, यूरीनल, जल निकासी, साईकल स्टैंड, चहारदीवारी निर्माण, मिट्टी भराई एवं मैदान समतलीकरण इत्यादि। साथ ही नये कार्य यथा– चहारदीवारी निर्माण, अतिरिक्त वर्गकक्ष निर्माण, किचेन शेड का निर्माण एवं मैदान समतलीकरण इत्यादि ग्रामीण विकास विभाग (विकसित भारत–जी राम जी योजना) एवं पंचायती राज विभाग द्वारा कराया जा सकता है। विभागीय समीक्षात्मक बैठकों में उक्त कार्यो को निर्धारित तिथि तक पूर्ण कराने का भी निदेश दिया गया है। इसके लिए यह आवश्यक है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी जिलों के उप विकास आयुक्त से समन्वय स्थापित कर संबंधित पोर्टल पर उक्त योजनाओं की प्रविष्टियाँ सुनिश्चित करेंगे।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि विद्यालय में 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' अन्तर्गत कार्यो की सूची अविलम्ब तैयार कर निर्धारित तिथि तक कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही घोषित जर्जर भवनों एवं अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण हेतु सूची निर्माण कार्य भी पूर्ण कर लिया जाय एवं विद्यालय भूमि परिसर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए भूमि राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित किया जाय।

अनुलग्नकः– यथोक्त्।

विश्वासभाजन,

29.9.26

(विजय कुमार पाण्डेय)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक :– 04/अ०का० 16–74/2026.....1950..... पटना, दिनांक :– 29-09-26

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आशुलिपिक, निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) के आशुलिपिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29.9.26

निदेशक (प्रशासन)

पत्रांक–बजट/आव/11001/1/2023-SEC 5-EDU DEPT (C.No.-277107) 121

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
अपर सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)

पटना, दिनांक– 16.09.2024.

विषय :– विद्यालय में मरम्मति हेतु आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–02, दिनांक 01.04.2024 के द्वारा आवंटित राशि से 50,000/–(पचास हजार) रूपये मात्र प्रति विद्यालय की दर से संबंधित सभी विद्यालयों के बैंक खाते में राशि हस्तान्तरण करने के संबंध में।

प्रसंग:– विभागीय पत्रांक– 3360 दिनांक–09.08.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में अंकित करना है कि शिक्षा विभाग के कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या– 02, दिनांक 01.04.2024 के द्वारा जिलावार राशि आवंटित की गयी है। उक्त स्वीकृत्यादेश में वर्णित कार्यों के लिए राशि की निकासी हेतु विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया है। विद्यालय में उपलब्ध कराये गए राशि से निम्नांकित कार्य किया जाए –

1. बल्ब, पंखा, ट्यूब लाईट आदि की मरम्मति।
2. शौचालय एवं नल की मरम्मति।
3. सबमर्सिबल एवं पाईप, ओभर हेड टैंक की मरम्मति।
4. खिड़की, किवाड़ एवं इसके सभी प्रकार की मरम्मति।
5. समय–समय पर आवश्यकतानुसार ब्लैक बोर्ड की रंगाई एवं मरम्मति।
6. बैंच–डेस्क, टेबूल, आलमारी आदि की मरम्मति एवं पेंटिंग।
7. किचेन सामग्री (गैस चूल्हा आदि) की मरम्मति।
8. प्रयोगशाला सामग्री की मरम्मति।
9. क्रय किये गये कम्प्यूटर (जिसका AMC नहीं हो) की मरम्मति।
10. स्कूल के छत का सभी प्रकार की मरम्मति।
11. टूटे हुए फर्श की मरम्मति।
12. स्कूल के जल जमाव के निकासी संबंधित कार्य।
13. स्कूल के जंगल–झाड़ आदि की साफ–सफाई।

इन कार्यों के लिए विद्यालय के बैंक खाता में राशि का रहना आवश्यक है ताकि संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक समय–समय पर उक्त कार्यों को सम्पन्न करा सकें। उक्त के आलोक में अपने–अपने जिलान्तर्गत प्रत्येक सरकारी विद्यालय के Govt. of Bihar के बैंक खाता में 50,000/–(पचास हजार) रूपये CFMS की उचित प्रक्रिया द्वारा हस्तान्तरित करने का निदेश दिया जाता है। प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक बैंक खाते में हस्तान्तरित राशि द्वारा उक्त कार्यों को निष्पादित करेंगे। विद्यालय के बैंक खाते में 50,000/–(पचास हजार) रूपये की राशि हमेशा उपलब्ध रहनी चाहिए अर्थात उदाहरणस्वरूप किसी विद्यालय के द्वारा 35000/– रूपये का मरम्मति कार्य कराया जाता है तो प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा 35000/– का मूल विपत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा 35000/– पुनः विद्यालय के खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी। विद्यालय में प्रत्येक मरम्मति विपत्र में मजदूरी एवं सामग्री का स्पष्ट एवं अलग–अलग उल्लेख किया जाना आवश्यक है। सभी अभिश्रवों पर प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं स्कूल के अगले वरीयतम शिक्षक का पूर्ण हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। अर्थात सभी अभिश्रवों पर दो शिक्षकों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

निरीक्षण के दौरान उल्लिखित मरम्मंति कार्य नहीं किये गए होंगे तो इसके लिए प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक जवाबदेह होंगे।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना/योजना एवं लेखा) राशि निकासी के निर्धारित अवधि के अंदर BTC-27 A में मूल अभिश्रव संलग्न करते हुए DC विपत्र महालेखाकार को समर्पित करेंगे और उसकी एक प्रति विभाग के AC/DC कोषांग को उपलब्ध करायेंगे। ध्यातव्य है कि उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए ही है।

उपरोक्त आदेश पर अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

उपरोक्त आदेश सहित राशि के अग्रिम निकासी पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

16.9.24

अपर सचिव–सह–बजट पदाधिकारी
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–बजट/आव/11001/1/2023-SEC_5-EDU DEPT (C.No.-277107).....121..... पटना, दिनांक.....16.09.2024.....

प्रतिलिपिः–सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग/सचिव, शिक्षा विभाग/विशेष सचिव, शिक्षा विभाग/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/अपर सचिव/योजना कोषांग/बजट शाखा/ए०सी०डी०सी० कोषांग/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.9.24.

अपर सचिव–सह–बजट पदाधिकारी
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

डॉ० एस० सिद्धार्थ, भा०प्र०से०
अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग,
बिहार सरकार

बिहार सरकार

विकास भवन, पटना - 800 015
फोन : 0612 - 2217016 (कार्यालय)
फैक्स : 0612 - 2235108
ई-मेल : secy-edn-bih@nic.in

पत्रांक– CWM/AWP&B 24-25/274- 3360 पटना, दिनांक– 9/8/24

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषयः– राज्य के सरकारी विद्यालयों में आवश्यकता के अनुरूप असैनिक निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आप अवगत हैं कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की परिपूर्णता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर असैनिक निर्माण कार्य की योजनाओं को आगामी वर्षों में क्रियान्वित किया जाना है। इस हेतु कार्य की महत्ता एवं कार्य की अधिकता को ध्यान में रखते हुए कतिपय संशोधन के उपरांत राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के स्तर से दो पत्र, पत्रांक 3353 दिनांक 08.08.2024 एवं पत्रांक 3354 दिनांक 08.08.2024 निर्गत किये गये हैं। योजनाओं के चयन एवं प्राथमिकता निर्धारण हेतु समिति की बैठक अगस्त, 2024 में ही आयोजित कर लिया जाए तथा माह सितम्बर, 2024 से योजनाओं का क्रियान्वयन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाय।

निर्गत पत्रों की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए निदेश है कि त्वरित गति से आवश्यकता के अनुरूप असैनिक निर्माण कार्य की योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाय।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

9/8/2024
(डॉ० एस० सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार।

ज्ञापांकः 3360/ पटना, दिनांकः 9/8/24

प्रतिलिपिः– जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/8/2024
अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार।

पत्रांक–बजट/आव/11001/1/2023-SEC 5-EDU DEPT (C.No.-277107) (अंश)....110.

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
अपर सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)

पटना, दिनांक– 27/09/2024

विषय :– विभागीय पत्रांक 121 दिनांक 16.09.2024 एवं विभागीय पत्रांक 122 दिनांक 18.09.2024 के आलोक में विद्यालय में मरम्मति के लिए विद्यालय के बैंक खाते में राशि हस्तान्तरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में अंकित करना है कि विद्यालय में मरम्मति हेतु आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–02 दिनांक 01.04.2024 के द्वारा आवंटित राशि से 50,000 रूपये प्रति विद्यालय की दर से राज्य के सरकारी विद्यालयों के बैंक खाते में हस्तान्तरित करने हेतु विभागीय पत्रांक 121 दिनांक 16.09.2024 एवं विभागीय पत्रांक 122 दिनांक 18.09.2024 द्वारा कतिपय निदेश दिये गये हैं। दिये गये निदेशों के संबंध में निदेशानुसार राशि हस्तान्तरण में निम्न संशोधित मार्गदर्शन दिया जा रहा है:–

1. जिला अन्तर्गत उपलब्ध आवंटन पर्याप्त नहीं रहने की स्थिति में विभागीय पत्रांक 121 दिनांक 16.09.2024 द्वारा निर्धारित 13 कार्यों अन्तर्गत विद्यालयों को उपलब्ध राशि के समानुपातिक आधार पर 50,000/– से कम राशि आवंटित की जा सकती है।

उपरोक्त आदेश पर अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

27.9.24

अपर सचिव–सह–बजट पदाधिकारी
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–बजट/आव/11001/1/2023-SEC_5-EDU DEPT (C.No.-277107) (अंश)..110.. पटना, दिनांक 27/09/2024

प्रतिलिपि:–सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग/सचिव, शिक्षा विभाग/विशेष सचिव, शिक्षा विभाग/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/अपर सचिव/योजना कोषांग/बजट शाखा/ए०सी०डी०सी० कोषांग/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27.9.24.

अपर सचिव–सह–बजट पदाधिकारी
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

Parveen Ranjan

Allotment Available at Office District Education Office Gopalganj - 804685 as on Wednesday 7-Oct-2026 10:57 AM

पत्रांक–बजट/आव/11001/1/2023-SEC 5-EDU DEPT (C.No.-277107)– 122

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
अपर सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)

पटना, दिनांक– 18/09/2024

विषय :– विभागीय पत्रांक 121 दिनांक 16.09.2024 के आलोक में विद्यालय में मरम्मति के लिए विद्यालय के बैंक खाते में राशि हस्तान्तरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में अंकित करना है कि विद्यालय में मरम्मति हेतु आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–02 दिनांक 01.04.2024 के द्वारा आवंटित राशि से 50,000 रूपये प्रति विद्यालय की दर से राज्य के सरकारी विद्यालयों के बैंक खाते में हस्तान्तरित करने हेतु विभागीय पत्रांक 121 दिनांक 16.09.2024 द्वारा निदेश दिया गया है। राशि हस्तान्तरण में जिलों से कतिपय प्रश्न पृच्छा के आलोक में निम्न मार्गदर्शन दिया जा रहा है:–

1. राज्य के वैसे सरकारी विद्यालय के बैंक खाते में राशि हस्तान्तरित नहीं करना है, जिन विद्यालयों के विद्यालय कोष में 50,000/– रूपये अथवा इससे अधिक राशि उपलब्ध हैं। यदि विद्यालय के कोष में राशि उपलब्ध नहीं है, तभी संबंधित खाते में राशि हस्तान्तरित की जानी है। यदि कोई विद्यालय संदर्भित मद में राशि खर्च करता है और विद्यालय कोष की राशि शून्य हो जाती है, तो उस विद्यालय के बैंक खाते में राशि हस्तान्तरित किया जाना है। यदि विद्यालय के विद्यालय कोष में 50,000/– से कम हो तो पहले विद्यालय कोष की राशि का व्यय करें, तत्पश्चात् उस विद्यालय के बैंक खाते में राशि हस्तान्तरित की जाय।
2. विभागीय पत्रांक 121 दिनांक 16.09.2024 द्वारा संदर्भित मरम्मति कार्य हेतु 50,000/– रूपये प्रति विद्यालय की दर से बैंक खाते में उपलब्ध करायी जानी है, इसके लिए विपत्र कोड संबंधी विवरणी इस प्रकार है:–

(क) राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के बैंक खातों में राशि विपत्र कोड 21–2202–01–101–0003 अथवा 21–2059–60–053–0101 में उपलब्ध राशि से अग्रिम निकासी करते हुए हस्तांतरित की जायेगी।

(ख) राज्य के माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बैंक खातों में राशि विपत्र कोड 21–2202–02–053–0001 अथवा 21–2059–60–053–0101 में उपलब्ध राशि से अग्रिम निकासी करते हुए हस्तांतरित की जायेगी।

(ग) प्रारंभिक विद्यालयों के मद की राशि का माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में तथा माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के मद की राशि का प्रारंभिक विद्यालयों में विचलन नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त आदेश पर अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

18.9.24

अपर सचिव–सह–बजट पदाधिकारी
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–बजट/आव/11001/1/2023-SEC_5-EDU DEPT (C.No.-277107).....122.....पटना, दिनांक 18/09/24

प्रतिलिपि:–सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग/सचिव, शिक्षा विभाग/विशेष सचिव, शिक्षा विभाग/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/अपर सचिव/योजना कोषांग/बजट शाखा/ए०सी०डी०सी० कोषांग/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.9.24.

अपर सचिव–सह–बजट पदाधिकारी
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना